मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 9777 / MGNREGS-MP/NR-3 / SE-1 / 2011 भोपाल, दिनांक: 10 / 10 / 2011

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला– समस्त

विषय –मनरेगा अन्तर्गत नवीन उपयोजना ''आंतरिक पथ'' के संबंध में।

संदर्भ– विभाग का आदेश क्र. 9776 / MGNREGS-MP / NR-3/SE-1/2011 दिनांक 10.10.2011

मनरेगा एक्ट की मार्गदर्शिका के तृतीय संस्करण 2008 के अध्याय 14 में उल्लेखित अभिसरण से मनरेगा कार्यों के संपादन को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. के ग्रामीण सीमेंट कांक्रीट सड़क से आंतरिक पथ योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। उपयोजना के विस्तृत दिशा निर्देश संदर्भित पत्र से जारी किये गये हैं (संलग्न)।

कृपया इस नवीन उपयोजना का सावधानी से अध्ययन कर अपने जिले में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। इस उपयोजना में निम्न बिन्दुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जावे–

1. सीमेंट कांक्रीट आंतरिक मार्ग निर्माण हेतु लगभग 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से एवं 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था अन्य मदों से की जानी होगी।
2. अभिसरण के लिये निम्न विकल्प उपलब्ध हैं
   (i) पंचायत विभाग के द्वारा मूलभूत अनुदान मद की राशि
   (ii) स्टाम्प शुल्क की राशि
   (iii) गौण खनिज मद में उपलब्ध कार्यों की राशि
   (iv) अधोसंरचना सुधार कार्यों हेतु उपलब्ध राशि
   (v) विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि
   (vi) जन सहयोग की राशि
   (vii) अन्य कोई उपलब्ध संसाधन अथवा योजना
3. कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्राक्कलन अनुसार मनरेगा एवं अभिसरण अंतर्गत पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति सुनिश्चित की जावे।
4. जिन ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है उन ग्रामों में यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा एजेंसी के रूप में कराया जाये, ताकि मार्ग की गुणवत्ता एवं निरंतरता बनी रहे। अन्य स्थानों हेतु एजेंसी ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हो सकते हैं।
5. प्रत्येक प्रकरण में अभिसरण के वर्तमान निर्देशों के अनुरूप प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।
6. योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
7. उपयोजना का क्रियान्वयन विभाग के समस्त दिशा–निर्देशों एवं मनरेगा अंतर्गत समस्त शासनादेशों का कड़ाई से पालन करते हुए किया जाए।

मुझे विश्वास है कि ग्रामों की आंतरिक गलियों में सीमेंट कांक्रीट मार्ग बनाने की इस बहुप्रतीक्षित एवं बहुअपेक्षित योजना के क्रियान्वयन में आप व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने जिले में बड़ी संख्या में कार्य को उत्तम गुणवत्ता के साथ संपादित करायेंगे। इस उपयोजना के बारे आगामी सप्ताह में वीडियो कांफ्रेसिंग में आप सबसे चर्चा की जायेगी।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

9778
पृ.क्रमांक/ /MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 भोपाल, दिनांक:10/10/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क एवं आवास विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
10. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
11. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्य प्रदेश।
13. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
15. समस्त सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
16. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
17. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,।
18. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से आंतरिक पथ उपयोजना

05 अक्टूबर 2011

1. प्रस्तावनाः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों की आंतरिक गलियों में कीचड़ से आवागमन में होने वाली परेशानी एवं ग्राम वासियों के स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निजात दिलाने के लिए मनरेगा की राशि में अन्य मद की राशि के अभिसरण से आतंरिक मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 11094 दिनांक 03.11.2010 से निर्देश जारी किए गए है। विभाग द्वारा आयेाजित संभागीय समीक्षा बैठकों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग द्वारा जारी हुये निर्देशों का युक्तियुक्तकरण किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। अतएव समुचित विचार–विमर्श उपरांत इन निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एवं मनरेगा अधिनियम की मार्गदर्शिका के तृतीय संस्करण 2008 के अध्याय 14 में अनुमत अभिसरण से मनरेगा के कार्यो के लिए संपादन को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामों में सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग निर्माण हेतु "आंतरिक–पथ" उपयोजना की आयेाजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। उपयोजना का विवरण नीचे दिया गया है।

2. उपयोजना में अनुमत कार्यः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के अंतर्गत बिन्दु क्र. (viii) पर बारहमासी सड़क सम्पर्क से संबंधित कार्य लिये जाने पर योजना केन्द्रित की गई है। कार्यान्वयन दिशा–निर्देश 2008 के पैराग्राफ 6.1 में दी गई अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु क्रमांक (viii) में ग्राम की आंतरिक सड़कों के निर्माण का प्रावधान है। यद्यपि सीमेंट कांक्रीट सड़क का कार्य सम्पन्न न किए जाने का उल्लेख है, परन्तु पैराग्राफ 14.1 में अन्य योजनाओं से अभिसरण किया जाना अनुमत है। तदनुसार आंतरिक पथ निर्माण में सीमेंट कांक्रीट से संबंधित निर्माण मद का शत् प्रतिशत कार्य महात्मा गांधी नरेगा से निर्माण करवाया जाना अनुमत नहीं होगा, इस निर्माण मद का कार्य अन्य योजनाओं के अभिसरण से ही सम्पन्न किया जावे।

3. अभिसरणः सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क एवं पक्की नाली के निर्माण में मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय का अनुपात महात्मा गांधी नरेगा हेतु निर्धारित 60:40 से कही अधिक होता है। अतः सीमेंट काक्रीट सड़क एवं नाली के निर्माण पर आने वाली लागत शत प्रतिशत महात्मा गांधी नरेगा योजना से स्वीकृत नहीं की जावेगी। तथापि योजना की मार्गदर्शिका–2008 के अध्याय 14 में निहित प्रावधान के अनुसार इन निर्माण कार्यो का सम्पादन मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं/मदों से अभिसरण किया जाकर सम्पन्न किया जावेगा।

उक्त अभिसरण में इस परिपत्र में उल्लेखित ग्राम पंचायतों की निधि के उपयोग की अनुमति दी गई है। साथ ही सामुदायिक संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह उपयोजना जारी की जा रही है। जिसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जावेगा कि –

(अ) मनरेगा मद से सीमेंट कांक्रीट संबंधी कार्य बुक न किया जाए।

(ब) मनरेगा योजना के अन्य सभी निर्देश एवं परिपत्रों का पालन किया जाए।

(स) अभिसरण हेतु अन्य मदों की राशि उपलब्ध होने के बाद ही सीमेंट कांक्रीट का कार्य प्रारंभ किया जाए।

4. कार्यों का चयन एवं अन्य विवरणः उपयोजना के अंतर्गत कार्यों की चयन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण निम्नानुसार हैः

a. ग्रामों के आंतरिक मार्ग सामान्यतः जिसके दोनों तरफ मकान बने हों सीमेंट कांक्रीट रोड कार्य हेतु चयन किये जा सकेंगे।

b. किसी भी प्रकार के पहुंच मार्ग, मुख्य मार्ग एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण इस उपयोजना में अनुमत नहीं होगा एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि केवल ग्रामों के आबादी क्षेत्र में स्थित आंतरिक मार्ग ही इस उपयोजना में निर्मित होवें।

c. समाज के कमजोर वर्गों के आबादी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देकर प्राथमिकता पर वहॉ कार्य कराऍं जाऍं।

d. आंतरिक मार्गों की चौड़ाई विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न हो सकती परन्तु ग्रामीण यातायात की सुगमता की दृष्टि से 3 मीटर से अधिक चौड़ाई में सामान्यतः यह कार्य नहीं किया जावेगा। 3 मीटर चौड़ाई से कम परन्तु 1.2 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई की गलियों में भी सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क का निर्माण इस उपयोजना में अनुमत होगा। 3 मीटर चौड़ाई की सड़क के दोनों ओर सामान्यतः पक्की नाली का निर्माण किया जावे परन्तु 3 मीटर से 2 मीटर चौड़ाई की गलियों में केवल एक तरफ उचित ढाल देकर नाली निर्मित की जा सकती है एवं 2 मीटर से कम चौड़ाई की गली में पक्की नाली बनाने की वजाए एक ओर ढाल देकर उचित जल निकास किया जा सकता है। विवरण तालिका अनुसार हैः

मनरेगा में अन्य मद के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में औसत आधार पर 100 मीटर सीमेंट कांक्रीट रोड की मानक लागत (राशि लाख रूपये में)

स. क.	निर्माण कार्य			कुल लागत	मनरेगा के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य की लागत			अभिसरण (अन्य योजनाओं से लिये जाने वाले कार्यों की लागत)	अभिसरण का प्रतिशत
	सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट	पक्की नाली विवरण	स्थानीय परिस्थिति		60% मजदूरी	40% सामग्री	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.00 मीटर चौड़ी सीमेंट कांक्रीट रोड	हाफ राउण्ड सीमेंट कांक्रीट पाइप की नाली (रोड के दोनो तरफ)	काली मिट्टी का क्षेत्र	3.80	1.04	0.69	1.73	2.07	54%
2			कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	3.50	0.84	0.56	1.40	2.10	60%
3	2.00 मीटर चौड़ी सीमेंट कांक्रीट रोड	हाफ राउण्ड सीमेंट कांक्रीट पाइप की नाली (रोड के एक तरफ)	काली मिट्टी का क्षेत्र	1.91	0.55	0.37	0.92	0.99	52%
4			कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	1.70	0.41	0.27	0.68	1.02	60%
5	1.2 मीटर चौड़ी सीमेंट कांक्रीट रोड	बगैर नाली के	काली मिट्टी का क्षेत्र	0.86	0.26	0.17	0.43	0.43	50%
6			कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	0.72	0.17	0.11	0.28	0.44	61%

e. राज्य स्तर पर वर्तमान दरों पर तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार अलग–अलग चौड़ाइयों में सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण में आने वाली लागत का विवरण ऊपर दर्शित तालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम क्रमांक–6,7,8 में दर्शाऐ अनुसार मनरेगा के अंतर्गत लिए जा सकने वाले लागत अंश एवं कॉलम क्रमांक–9 में अन्य मदों/योजनाओं के अभिसरण से लिए जा सकने वाले लागत अंश का विवरण भी स्पष्ट किया गया है। इस अनुसार ही अनुमान लागत अंश का कार्य मनरेगा योजना में लिया जाना अनुमत होगा।

f. कुल निर्माण लागत का जो अंश मनरेगा के अंतर्गत अनुमत नहीं है उस अंश के लिए राशि की व्यवस्था निम्न मदों से की जा सकती है।

(i) विधायक निधि।
(ii) पंचायत विभाग के मूलभूत मद की राशि।
(iii) स्टाम्प शुल्क।
(iv) गौण खनिज।
(v) अधोसंरचना सुधार।
(vi) जन सहयोग से मिलने वाली राशि।
(vii) अन्य कोई उपलब्ध संसाधन अथवा योजना की राशि।

जन सहयोग की राशि संबंधित पंचायत में जमा हो जाने के उपरान्त ही इस उपयोजना के तहत निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जावे। ग्राम पंचायत की निधियों के उपयोग हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को नियमानुसार निर्णय स्वयं लेना होगा।

g. विभाग के पत्र क्रं. 11094/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011, दिनांक 03.11.2010 से अभिसरण के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार ही इन कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की जावे। मनरेगा अभिसरण अंतर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु प्रस्ताव अभिसरण मद से संबंधित प्राधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को भेजा जावेगा।

h. निर्माण लागत के अनुसार सामान्यतः निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा निर्धारित किया जाना अनिवार्य होगा। जिन ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जोड़ा जा रहा है, उन ग्रामों में यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया जाए, ताकि मार्ग की गुणवत्ता एवं निरन्तरता बनी रहे।

i. सीमेंट क्रांकीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्थल सर्वेक्षण उपरांत भूमि की उपलब्धता के अनुसार ही तैयार किये जा सकेंगे।

5. कार्य स्वीकृति की प्रक्रियाः– उपयोजना में कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

a. अभिसरण के तहत किये जाने वाले कार्यों का मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं अर्थात ग्रामसभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से अनुमोदित होकर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल होना सुनिश्चित किया जावे। तदोपरांत कार्य ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य–योजना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत शामिल किया जावे।

b. उपयोजना के अंतर्गत कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला दर अनुसूची के आधार पर आवश्यक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के आधार पर तैयार किये जावेंगे। मार्गदर्शन के लिए कार्यों के मानक प्राक्कलन तैयार किए गए हैं, जिसके आधार पर प्राप्त लागत का विवरण कण्डिका 3(d) में दर्शित तालिका में दिया गया है। सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण हेतु सामान्य तकनीकी निर्देश परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। निर्माण कार्य निर्धारित स्पेशीफिकेशन्स के अनुसार ही सम्पन्न किए जावेंगे।

c. ग्राम पंचायत द्वारा अभिसरण की राशि उपलब्ध होने एवं प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव, ठहराव उपलब्ध कराया जाएगा।

d. स्थल की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किये गये प्राक्कलन की लागत में से कण्डिका 3(d) में दर्शित तालिका अुनसार मनरेगा के अंश की राशि प्राक्कलन का भाग–1 मानी जावेगी। अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध होने वाली शेष राशि प्राक्कलन का भाग–2 मानी जावेगी। अभिसरण के तहत सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री अथवा उससे वरिष्ठ स्तर के तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

e. अभिसरण के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य एजेंसी का निर्धारण जिला कलेक्टर के द्वारा अभिसरण मद अंतर्गत राशि सुनिश्चित करते हुये जारी की जावेगी। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में अलग–अलग मदों से स्वीकृत की जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इसमें मजदूरी और सामग्री हेतु प्रावधानित राशि का स्पष्ट उल्लेख हो। कार्य एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा ग्राम पंचायत को रखा जाना है, जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारण किया जावेगा।

6. वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारणः

a. तकनीकी स्वीकृति मे भाग–1 की राशि की व्यवस्था मनरेगा मद से की जा सकेगी।

b. तकनीकी स्वीकृति मे भाग–2 की राशि की व्यवस्था अभिसरण हेतु नियत विधायक निधि या अन्य विभागीय मद/विभाग अंतर्गत संचालित योजना मद से की जा सकेगी।

c. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय वित्तीय संहिता एवं म.प्र भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये किया जाकर भुगतान उपरांत देयकों को कार्य की नस्ती में संधारित किया जावे।

d. कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर लेखा, पंचायत एक्ट के नियमों के तहत संधारित किये जायेगें, प्रत्येक योजना के आय–व्यय के लिये अलग–अलग लेजर संधारित किये जायेगें। लेखों का अंकेक्षण संबंधित एजेंसी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा किया जावेगा।

e. कार्य की एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होने पर लेखों का अंकेक्षण संबंधित एजेंसी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा किया जावेगा।

f. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अंकेक्षण हेतु लेखे उपलब्ध रखे जावें।

g. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।

7. कार्यों का क्रियान्वयन :

a. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नियत क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार प्रत्येक मद की अलग–अलग राशि जारी की जावे।

b. ऐसी राशियॉ जो ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध हैं, उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत स्वयं एजेंसी होने की दशा में अभिसरण हेतु स्वयं उपलब्ध कराएंगी एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एजेन्सी होने की स्थिति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को उपलब्ध कराएंगी।

c. सम्पूर्ण प्राक्कलन अनुसार धनराशि की सुनिश्चित व्यवस्था पूर्ण किए बिना प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। इसमें अभिसरण की धनराशि की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति दोनों होना अनिवार्य है।

d. जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के तीन दिवस में क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य प्रारम्भ करने हेतु मस्टर रोल व माप पुस्तिका जारी की जावे।

e. क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम स्तर पर कार्य का प्रचार प्रसार करते हुये ले–आउट देगी जिससे अकुशल श्रम के इच्छुक जॉबकार्डधारी मजदूरों को आसानी से कार्य उपलब्ध हो सके।

f. कार्य का क्रियान्वयन मनरेगा के प्रावधानों का पालन करते हुये मस्टर रोल पद्धति से कराया जावेगा। कार्य में मानव श्रम के बदले मशीनरी का उपयोग एवं ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

g. अभिसरण के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के स्थल पर एक सूचना फलक लगाया जावें जिसमें कार्य का नाम एवं कुल लागत का उल्लेख किया जाकर उसके नीचे स्पष्ट रूप से मनरेगा मद एवं विधायक या अन्य मद से व्यय की जानी वाली राशि का उल्लेख हो।

h. कार्य में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक योजना के संबंधित प्रभारी अधिकारी को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भेजा जावे। उपयोगिता प्रमाण–पत्र में कुल व्यय राशि के साथ मनरेगा एवं अन्य मद की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

i. कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंतिम मस्टर रोल के भुगतान उपरांत 15 दिवस की सीमा में कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। पूर्णता प्रमाण–पत्र पर क्रियान्वयन एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी के साथ सहायक यंत्री, मनरेगा/ग्रा.या.से. के हस्ताक्षर होगें, साथ ही उक्त अधिकारियों का कार्य स्थल के साथ लिया गया फोटोग्राफ संलग्न कराया जावे।

8. मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान :–

a. कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी शासकीय विभाग होने पर मूल्यांकन का कार्य संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जावे।

b. कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा/ग्रा.या.से. द्वारा सप्ताहिक रूप से किया जावेगा।

c. कार्य का मूल्यांकन एवं जॉबकार्ड धारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की समय सीमा में बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके खातों में किया जावें।

d. मनरेगा मद की राशि के मूल्यांकित मस्टर रोल एवं देयकों के माध्यम से व्यय की गई राशि की एम.आई.एस. प्रविष्टि अनिवार्यतः की जावे।

9. निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रणः–

a. क्रियान्वयन एजेंसी से मनरेगा मद में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 सुनिश्चित किया जावे। कार्यों का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक कराया जावे।

b. सीमेंट कंक्रीट की Compressive strength हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। IS-516 के अनुसार प्रतिदिवस सीमेंट कांक्रीट के 6 क्यूब तैयार किये जावे जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28 वें दिवस किया जावे।

c. IS-1199 के अनुसार सीमेंट कांक्रीट की Workablity हेतु प्रत्येक 3 Cum सीमेंट कांक्रीट की मात्रा हेतु प्रयोगशाला में Slump test किया जावे।

d. मनरेगा अंतर्गत जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है। अतएव उक्त परीक्षण मनरेगा की प्रयोगशाला स्थापना होने तक म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिले में स्थित प्रयोगशालाओं में किये जावें।

e. सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण के दौरान उपयंत्री कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य का गुणवत्ता पूर्वक संपादन सुनिश्चित करेगें एवं समय–समय पर सीमेंट कांक्रीट के नमूने (Sample) एकत्रित कर सहायक यंत्री से माध्यम से परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

f. सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण के दौरान दिवस में एक बार सहायक यंत्री का निरीक्षण अनिवार्य होगा। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सहायक यंत्री द्वारा साइट आर्डर बुक में टीप अंकित की जावे।

g. कार्यों का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

h. जिलास्तर से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण सेवा द्वारा सीमेंट कांक्रीट सड़क के 10% कार्यों का तथा नियुक्त राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।

i. विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि–7/ग्र.या.से./06 दिनांक 22.06.2006 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य का Exit Protocol कराया जावे।

ग्रामों मे सीमेंट कांक्रीट मार्ग के निर्माण हेतु उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुये "आंतरिक–पथ" उपयोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/9776/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 भोपाल, दिनांकः10/10/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क एवं आवास विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
10. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
11. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्य प्रदेश।
13. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
15. समस्त सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
16. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
17. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,।
18. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

5/10

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग